

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प. 4(7)नविवि/II/2019

जयपुर, दिनांक 30.09.2019

::आदेश::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.09.2019 के क्रम संख्या-4 पर अंकित श्री ज्ञानेश्वर व्यास, अधीक्षण अभियन्ता का नगर विकास न्यास उदयपुर किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से


(त्रिभुवनपति)

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर, राज0।
3. शासन संयुक्त सचिव-प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, नगरीय विकास विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।



अनुभागाधिकारी-द्वितीय